तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **जयवीर बनाम नायब तहसीलदार सूरजगढ** **अपील संख्या 18/2016(जीसीएमएस नम्बर 2016/00107)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.202	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा नामान्तरकरण संख्या 459 वाके ग्राम चिमाकाबास पर पारित आदेश दिनांक 28.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जबकि उक्त आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) में पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार सुरजगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2015 के विरूद्ध अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने से खारिज की जाती है तथा अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	